रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 1988/चैत्र 4, 1910
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 1988/CHAITRA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1988

आदेश

सा. का. नि. 373(अ):—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इस आदेश का नाम स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 1988 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 1988 को प्रवृत्त होगा।

2. स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 में:—

(क) खण्ड 2 में,

(1) उप खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्—

"(ख) "स्नेहक तेल और ग्रीज" से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के उप-शीर्ष संख्या 2710.32, 2710 60, 2710 70, 2710.80, 2710 93, 2710 94, 2710.95, 2710.99 या शीर्ष संख्या 3403.00 के अधीन वर्गीकरण योग्य कोई भी उत्पाद अभिप्रेत है;

(ग) "प्रसंस्करण कर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनिर्माण, संमिश्रण, पैकेज, पुनर्परिष्करण करने या किसी स्नेहक तेल और ग्रीज के विक्रय या पुनःविक्रय का कारबार करता है या करने का प्रस्ताव करता है और इसके अन्तर्गत इसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट तेल कम्पनियां नहीं हैं ;

(2) उप खण्ड (घ) में, "प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उसके लिए घोषित" शब्दों के स्थान पर "प्रसंस्करणकर्ता द्वारा घोषित या उस पर लागू" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ख) खण्ड 4 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"4. स्नेहक तेल या ग्रीज के कारबार पर प्रतिषेध—कोई भी व्यक्ति किसी स्नेहक तेल या ग्रीज के, जो अपमिश्रित की गई है, विनिर्माण. सम्मिश्रण, पैकेज पुनर्परिष्करण, विक्रय या विक्रय के लिए परिवहन करने का कारबार नहीं करेगा।

(ग) खण्ड 5 में:—

(1) उपखंड 1 के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"विक्रेता या पुनर्विक्रेता से भिन्न प्रसंस्करणकर्ता का कारबार करने की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति प्ररूप 1 में आवेदन करेगा तथा प्रत्येक विक्रेता या पुनर्विक्रेता इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 क में पच्चीस रुपए की फीस के साथ सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा ;

(2) उप खण्ड (2) में, शब्द और संख्या "प्ररूप 2" के बाद शब्द, संख्या तथा अक्षर "या जैसी स्थिति हो, इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप 2 क" जोड़े जायेंगे ।

(3) उप खण्ड (4) में:—

(क) शब्द "अनुज्ञप्ति" के स्थान पर शब्द और संख्या "इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 में अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(ख) शब्द "स्नेहक और ग्रीज" जहां भी हों, के स्थान पर "स्नेहक तेल या ग्रीज" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(4) खण्ड 5 में शब्द और संख्या "31 मार्च, 1988" के स्थान पर शब्द और संख्या "30 जून, 1988" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(घ) खण्ड 5 के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"5क. स्नेहक तेल या ग्रीज के विनिर्देशन के अनुसार घोषणा—(1) प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता जो स्नेहक तेल या ग्रीज के पुनर्परिष्करण का कारबार न तो करता है और न ही करने का प्रस्ताव करता है, ऐसे स्नेहक तेल या ग्रीज के विनिर्देशन के अनुसार घोषणा करेगा और ऐसे विनिर्देशनों के अनुरूप करेगा ।

(2) प्रत्येक प्रसंस्करणकर्ता जो स्नेहक तेल या ग्रीज के पुनर्परिष्करण का कारबार करता है या करने के प्रस्ताव करता है,—

(क) यदि ऐसा पुनर्परिष्करण भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 15 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के अधीन किया जा रहा है तो वह उक्त अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानक मार्क के अनुरूप करेगा ।

(ख) यदि, ऐसा पुनर्परिष्करण उप खण्ड (क) में संदर्भित अनुज्ञप्ति के अधीन नहीं किया जा रहा हो, तो वह ऐसे स्नेहक तेल और ग्रीज विनिर्देशन की घोषणा करेगा और ऐसे विनिर्देशन के अनुरूप करेगा ।

परन्तु शर्त यह है कि उप खण्ड (ख) की अपेक्षाएं पुनर्परिष्कृत बेस आयल के प्रसंस्करणकर्ताओं पर लागू नहीं होंगी यदि ऐसे प्रसंस्करणकर्ता ऐसे बेस आयल की बिक्री केवल बड़े प्रयोगकर्ताओं को या अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट तेल कम्पनियों में से किसी एक को करते हों ।

स्पष्टीकरण:—इस उप-खण्ड के प्रयोजन के लिए "बड़े प्रयोगकर्ता" से ऐसा कोई भी संस्थान अभिप्रेत है जो तेल कम्पनियों में से किसी एक से सीधे स्नेहक तेल या ग्रीज ग्रहण करता है और अपने प्रयोग के लिए इस आदेश के अंतर्गत पंजीकृत प्रसंस्करणकर्ताओं में से किसी एक से बेस्ट आयल का पुनर्परिष्करण कराता है ।

(ङ) खण्ड 6 में,—

(1) मार्जिन के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अनुज्ञप्ति का निलम्बन और रद्दकरण" ।

(2) आरम्भिक पैराग्राफ में शब्द "रद्द" के स्थान पर शब्द "निलम्बित करना या रद्द करना" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(3) परन्तुक में शब्द "रद्द किया गया" के स्थान पर शब्द "निलम्बित किया गया या रद्द किया गया" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(च) खण्ड 8 उप-खण्ड (1) में आरंभ होने वाले शब्द "किसी पुलिस अधिकारी और समाप्त होने वाले" शब्द "या उससे ऊपर" के स्थान पर शब्द "कोई अधिकारी परन्तु पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो" प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(छ) खण्ड 9 में शब्द "स्नेहक और ग्रीज" के स्थान पर शब्द "स्नेहक तेल या ग्रीज" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ज) अनुसूची 1 में,

(1) शीर्षक "तेल कम्पनियों के नाम" के अंतर्गत क्रम संख्या (ix) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि जोड़ी जाएगी अर्थात्:—

"(x) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड 480, खीवराज कम्पलैक्स, नन्दनम अन्नासलाय, मद्रास-600035" ;

(2) प्ररूप 1 में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—
"विनिर्माण संमिश्रण, पैकेज या स्नेहक तेल या ग्रीज का पुनर्परिष्करण करना" ;

(3) प्ररूप 1 के बाद निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे अर्थात्:—

प्ररूप संख्या 1 क

(स्नेहक तेल/ग्रीज प्रसंस्करण प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश, 1987 का खण्ड 5.1 देखें)

विद्यमान यूनिट/प्रस्तावित यूनिट के निर्मित स्नेहक तेलों/ग्रीजों/विशिष्टियों का कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

पत्र 1

(यह आवेदन पत्र प्रयुक्त/पुनर्परिष्कृत तेलों सहित स्नेहक तेलों और ग्रीजों के कारबार संबंधी कार्यकलापों के लिए अनुज्ञप्ति देने/अनुज्ञप्ति के नवीकरण करने के लिए है) ।

1. आवेदन का पूरा नाम :

2. पूरा पता :

3. कारबार करने के स्थान की अवस्थिति/पता :

4. कम्पनी/कम्पनियों के नाम जिनके उत्पादों का कारबार किया जा रहा है :

5. आपूर्तिकर्ता का नाम और पूरा पता :

6. नयी अनुज्ञप्ति [ ] नवीकरण [ ]

मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है ।

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक : (साफ अक्षरों में नाम)

(4) प्ररूप 2 के बाद निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा अर्थात्—

प्ररूप संख्या 2 क

निर्मित स्नेहकों तेलों/ग्रीजों/विशिष्टियों का कारबार करने के लिए विद्यमान यूनिट/प्रस्तावित यूनिट के लिए अनुज्ञप्ति देने/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्ररूप

प्रसंस्करणकर्ता का कारबार (केवल विक्रय कार्य के लिए) करने की अनुज्ञप्ति उस स्थान पर और निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के तथा स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के उपबंधों के अधीन रखते हुए पक्षकार को प्रदान की जाती है ।

पक्षकार, यूनिट का अवस्थान और उत्पाद (उत्पादों) का ब्यौरा

1. अनुज्ञप्ति के धारक का पूरा नाम :
2. पूरा पता :
3. कारबार करने के स्थान (स्थानों) की अवस्थिति :
4. अनुज्ञप्ति संख्या :
5. जारी करने की तारीख :
6. विधिमान्यता.....तक
7. कम्पनी/कम्पनियों का नाम जिसके उत्पाद का वह कारबार कर रहा है :
8. आपूर्तिकर्ता का नाम और पूरा पता :

दिनांक:————————

सील

सक्षम प्राधिकारी

————————राज्य

अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें :

1. अनुज्ञप्ति, स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के उपबंधों के अधीन रखते हुए, जारी की जा रही है ।

2. अनुज्ञप्ति धारक ऐसे अभिलेख सही सही और पूर्णतः बनाए रखेगा जो आवेदक के आवेदन प्ररूप में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक हों और यह अनुज्ञप्ति उसे दी गई ।

3. अनुज्ञप्ति धारक, उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अनुज्ञात करेगा, जहां स्नेहक तेल और ग्रीज का प्रसंस्करण किया जा रहा है, उसके नमूने प्रस्तुत करेगा, ऐसे अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों को जो उसके कब्जे या नियंत्रण में हों प्रस्तुत करेगा और किसी परिसर में प्रवेश करने या उसकी तलाशी के लिए अनुज्ञात करेगा और उन वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा जिनको यह आदेश लागू होता है ।

सक्षम प्राधिकारी

————————राज्य

[फा. संख्या पी-11013/2/87-वितरण]

अरविन्द वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 24th March, 1988

ORDER

G.S.R. 373 (E):— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987, namely:—

1. (1) This Order may be called the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation), Amendment Order, 1988.

(2) It shall come into force on the Ist day of April, 1988.

2. In the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987:—

(a) in clause 2,

(i) for sub-clauses (b) and (c), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

'(b) "lubricating oil or grease" means any of the products classifiable under sub-heading Nos. 2710.32, 2710.60, 2710.70, 2710.80, 2710.93, 2710.94, 2710.95, 2710.99 or heading No. 3403.00 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986);

(c) "processor" means any person carrying on or proposing to carry on the business of manufacturing, blending, packaging, re-refining sale or resale of any lubricating oil or grease and includes a representative or agent of such processor but does not include the oil companies specified in Schedule I appended to this Order;'

(ii) in sub-clause (d), for the words "declared therefor by the processor", the words "declared by or applicable to the processor"

shall be substituted;

(b) for clause 4, the following clause shall be substituted, namely:—

"4. Prohibition of business of lubricating oil or grease—No person shall carry on the business of manufacturing, blending, packaging, re-refining, selling or transporting for sale any lubricating oil or grease which has been adulterated.";

(c) in clause 5,—

(i) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"Any person desiring to carry on the business of a processor, other than a seller or a re-seller, shall make an application in Form 1 and every seller or re-seller shall make an application in Form 1A specified in Schedule I appended to this Order to the competant authority, together with a fee of rupees twenty five.";

(ii) in sub-clause (2), after the word and figure "Form 2", the words, figure and letter "or, as the case may be, Form 2A specified in Schedule I appended to this Order" shall be inserted;

(iii) in sub-clause (4),—

(A) for the words "a licence", the words and figure "a licence in Form 1 specified in Schedule I appended to this Order" shall be substituted;

(B) for the words "lubricant and grease", wherever they occur, the words "lubricating oil or grease" shall be substituted;

(iv) in clause 5, for the figures and words "31st day of March, 1988", the figures and words "30th day of June, 1988" shall be substituted;

(d) after clause 5, the following clause shall be inserted, namely:—

'5A. The declaration as to specification of lubricating oil or grease.—(1) Every processor who is neither carrying on nor proposing to carry on business of re-refining of lubricating oil or grease shall make a declaration as to the specification of such lubricating oil or grease and shall conform to such specifications.

(2) Every processor who is carrying, on or proposing to carry on the business of re-refining of lubricating oil or grease,—

(a) if such-refining is being undertaken under a licence issued under section 15 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), shall conform to

(b) if such re-refining is being undertaken other than under a licence referred to in sub-clause (a), shall make a declaration as to the specification of such lubricating oil or grease and shall conform to such specifications:

Provided that the requirements of sub-clause (b) shall not be applicable to the re-refiners of re-refined base oil if such re-refiners sell such base oil only to major users or to one of the oil companies specified in Schedule I.

Explanation—For the purpose of this sub-clause, "major user" means any institution which acquires lubricating oil or grease directly from one of the oil companies and gets the waste oils re-refined by one of the re-refiners registered under this Order for its own use';

(e) in clause 6,—

(i) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:—
"Suspension or cancellation of licence.";

(ii) in the opening paragraph, for the word "cancel", the words "suspend or cancel" shall be substituted;

(iii) in the proviso for the word "cancelled", the words "suspended or cancelled" shall be substituted;

(f) in clause 8, in sub-clause (1), for the words beginning from "Any police officer" and ending with "or higher thereto", the words "Any officer not below the rank of an Inspector of Police" shall be substituted;

(g) in clause 9, for the words "lubricant and grease", the words "lubricating oil or grease" shall be substituted;

(h) in Schedule I,

(i) under the heading "Names of Oil Companies", after S. No. (ix) and the entry relating thereto, the following S. No. and entry shall be inserted, namely:—

"(x) Madras Refineries Limited.,
480, Khivraj Complex,
Nandanam,
Annasalai,
Madras-600 035";

(ii) in Form 1, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—
"Manufacturing, blending, packaging or re-refining of lubricating oils or grease";

(iii) after Form 1, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 1A

(See Clause 5.1 of Lube Oil/Greases Processing Supply & Distribution Regulation Order 1987).

APPLICATION FOR THE GRANT OF LICENCE TO CARRY ON TRADING OF FINISHED LUBRICATING OILS/GREASES/SPECIALITIES BY AN EXISTING UNIT/PROPOSED UNIT/RENEWAL OF LICENCE

(This application form is for Registration/Renewal of Trading activities in Lubricating Oils & Greases including used/Re-refined Oils)

1. Full name of the Applicant:
2. Address in full:
3. Location of the Place(s) of business/address:
4. Name of company/companies whose product is being traded:
5. Name of supplier & address in full:
6. New Licence [ ] Renewal [ ]

I solemnly declare that the information given above is true to the best of my knowledge and belief.

Place:
Date:

Signatuer of the Applicant
(Name in Block Letters)"

(iv) after Form 2, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM NO. 2A

FORM FOR LICENCE FOR AN EXISTING UNIT/PROPOSED UNIT FOR TRADING IN FINISHED LUBRICATION OILS/GREASES/SPECIALITIES/RENEWAL OF LICENCE

Licence to carry on the business of a processor (only for the activity of sale) is hereby granted to the party at the place and subject to the terms and conditions below and provisions of the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply & Distribution Regulation) Order, 1987.

Description of the party, the location of the unit and Product(s)

1. Full name of the licence holder:
2. Address in full:
3. Location of the place(s) of business/address:
4. Licence No.
5. Date of Issue
6. Valid upto:
7. Name of the Company/Companies whose product he is trading:
8. Name of supplier & address in full

Date:————————

Competent Authority

State of————————

SEAL

Terms and Conditions of the Licence:

1. The licence is issued subject to the provisions of the Lubricant Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.
2. The holder of the licence shall maintain correctly and completely such records as are necessary for verifying the particulars given in the application form of the applicant and this licence granted to him.
3. The holder of the licence shall permit an officer authorised by the competent authority under the provisions of the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987 to inspect the places where trading of lubricating Oils or greases is being undertaken, shall furnish samples thereof, shall permit on demand by such officer such records or documents in his possession or under his control and shall allow to enter or search any premises and seize any articles to which this order applies.

Competent Authority

State of ————————

[File No. P-11013/2/87—Dist.]

ARVIND VARMA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988